FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत नायब तहसीलदार मण्डावर मुकाम–मण्डावर (दौसा)

सरकार .... बनाम .... रामप्रसाद

किस्म मुकदमा– भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या–05 सन्–2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज **मुकदमा नम्बर–05/2023**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.02.2023	पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2079 ग्राम पाखर–1 भूमि ख0न0 1079 कुल अतिक्रमित रकबा 0.20 है0 राजकीय चारागाह भूमि पर गैर सायल रामप्रसाद पुत्र बीरबल जाति जोगी निवासी पाखर–1 द्वारा फसल काश्त (सरसों) कर अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, गैर सायल को राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायल न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुआ तथा गैर सायल का अभिभाषक उपस्थित हुआ जिसके द्वारा भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके स्पस्ट होता है कि गैर सायल द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अंतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होता है। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू–राजस्व लगान दर 9 रुपये का 50 गुणा 450 रूपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है। बेदखली, वसूली एवं फसल नीलामी हेतु आई0एल0आर0/पटवार हल्का [illegible] कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। रा0 लै0 स0 4 वर्ष 2022-23 की क्र0 सं0 57 पर 450 रु0 मांग कायम की गई। तहसील राजस्व लेखाकार नायब तहसीलदार तहसील मण्डावर (दौसा)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.23 15:23:35 IST
Reason: SelfAttested